RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 25 DECEMBER TO 31 DECEMBER 2019 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 18 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

Petrol-Diesel के बाद अब CNG की भी होगी होम डिलिवरी Page 2

जीएसटी की सिर्फ दो दरें हों, बार-बार नहीं हो बदलाव Page 3

जनवरी में आपको मिल सकता है सस्ते लोन का तोहफा Page 7

editoria!

इस्लामी ब्लॉक में टूट

मलयेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 18 से 21 दिसंबर के बीच हुई मुस्लिम देशों की बैठक इस्लामी दुनिया के दो धड़ों में बंटने का गंभीर संकेत देती है। यह पहला मौका है जब सऊदी अरब के ऐतराज के बावजूद ओआईसी के मंच से अलग कुआलालंपुर बैठक बुलाकर दुनिया की मुस्लिम आवाम की साझा चिंताओं को आवाज देने का दावा किया गया है। आयोजकों के इस स्पष्टीकरण को औपचारिकता ही समझना ठीक रहेगा कि यह नया ब्लॉक बनाने या ओआईसी से प्रतिद्वंद्विता का मामला नहीं है। सच्चाई यही है कि यह बैठक इस्लामी देशों के बीच से उभरते एक नए समीकरण को आकार देने की कोशिश है। सऊदी अरब इसे खुले तौर पर अपने आधिपत्य को चुनौती के रूप ले रहा है। यही वजह है कि इस बैठक को लेकर शुरू से ही उत्साह जता रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सऊदी अरब यात्रा के बाद आखिरी पलों में इससे दूर रहने का फैसला कर लिया। पहले विश्वयुद्ध के खात्मे के साथ ही खत्म हुई खिलाफत के लंबे दौर में इस्लामी जगत की धुरी रहे तुर्की के लिए दोबारा वही हैसियत हासिल करने की इच्छा अस्वाभाविक नहीं है। इस्लाम के अगुआ के तौर पर तुर्की की जगह लेने वाले सऊदी अरब के शासकों ने 1978 में हुई ईरान की इस्लामी क्रांति के डर से कट्टरपंथी वहाबी इस्लाम को खूब बढ़ावा दिया और इस काम में कम्युनिज्म विरोध के नाम पर अमेरिका का खुला समर्थन भी उसे प्राप्त हुआ। लेकिन अफगानिस्तान से सोवियत फौजों की वापसी और फिर अमेरिका समेत तमाम देशों के खिलाफ अलकायदा के आतंकी हमलों ने सऊदी अरब को कट्टर इस्लाम से दूरी बनाने को मजबूर कर दिया। उसके साथ सबसे बड़ी मजबूरी तेल के धंधे को लेकर जुड़ी है, जिसके चलते पाकिस्तान की लाख जिद के बावजूद सऊदी अरब ने अनुच्छेद 370 के मसले पर भारत के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया। शिया बहुल देश ईरान की इस्लामी विश्व की कमान संभालने में खास दिलचस्पी नहीं हो सकती, लेकिन अगर विरोधी ब्लॉक बनाने से मुस्लिम देशों के बीच सऊदी अरब की पकड़ कुछ ढीली पड़ती है तो उसके लिए सौदा बुरा नहीं कहा जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो यह धारणा बनाने में कई देशों की दिलचस्पी है कि सऊदी अरब की अगुआई में ओआईसी के मंच से मुस्लिम उम्मा के मुद्दे मजबूती से नहीं उठाए जा सकते। साफ है कि इस नए मंच का इस्तेमाल ऐसे मुद्दों को ज्यादा आक्रामक अंदाज में उठाने के लिए किया जाएगा। हालांकि तुर्की, ईरान, कतर और मलयेशिया की आर्थिक हैसियत ऐसी नहीं है कि ये अपनी एक भी बात किसी मुल्क से जबरदस्ती मनवा सकें। बहरहाल, इस्लामी देशों का यह घटनाक्रम कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमारे राजनयिकों को जल्दी इससे निपटने की तैयारी कर लेनी चाहिए।

आइबीसी का असर

42 फीसद तक हो रही है फंसे कर्ज की वसूली

एनपीए का स्तर 11.2 फीसद से घट कर 9.1 फीसद पर आया

नई दिल्ली। एजेंसी

तकरीबन सात वर्षों के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि देश का बैंकिंग सिस्टम एनपीए की फांस से बाहर आने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इंसॉल्वेंसी व बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) यानी नया दिवालिया कानून है जिसकी वजह से 42.5 फीसद तक एनपीए यानी फंसे कर्जे की वसूली संभव हो पा रही है। फंसे कर्जे की वसूली के पुरानी व्यवस्थाओं (लोक अदालत, डीआरटी, सरफाएसी कानून) से महज 3.5 से 14 फीसद तक ही फंसे कर्जे की वसूली हो पा रही है। यही नहीं आइबीसी में मामले को सलटाने में वक्त भी कम लग रहा है। अब जबकि सरकार ने इस कानून में नए संशोधन कर दिए हैं तो पुराने कर्जे को वसूलने का यह तरीका और ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को देश के बैंकिंग सेक्टर के ट्रेंड व प्रोग्रेस पर अपनी ताजी रिपोर्ट पेश की है जो बताती है कि सितंबर, 2019 में बैंकों की तरफ से दिए गए कुल कर्जे का 9.1 फीसद ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉरमिंग एसेट्स-ग्राहकों के पास फंसा कर्ज है। एक वर्ष पहले यानी सितंबर, 2018 में यह अनुपात 9.2 फीसद का था। जबकि मार्च, 2018 में यह 11.2 फीसद था। आरबीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक सात वर्षों बाद सात वर्षों बाद एनपीए के अनुपात में लगातार कमी हुई है। अगर शुद्ध एनपीए की बात करें तो यह भी इस दौरान 6 फीसद से घट कर 3.7 फीसद हो गया है। आरबीआइ की रिपोर्ट ने इस देश के बैंकिंग सेक्टर के लिए एक शुभ संकेत करार दिया है और माना है कि एनपीए को पहचान करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपों 2019 संपन्न

मध्य भारत की सबसे बडी एमएसएमई प्रदर्शनी में आए 2 लाख लोग

- केबिनेट मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने किया डायरेक्टरी का विमोचन
- आईपीएस त्रिपाठी ने शुभारंभ किया
- औद्योगिक प्रदर्शनी के लिए कन्वेंशन सेंटर की मांग

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

प्रदेश की सबसे बडी एमएसएमई प्रदर्शनी इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपों 2019 का आयोजन लाभगंगा एग्जिबिशन सेंटर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ इंदौर संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने किया। आयोजन में - केबिनेट मंत्री श्री सज्जनसिंह वर्मा भी शामिल हुए और एक्सपो की डायरेक्टरी का विमोचन किया। एक्सपो 20 से 23 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। इस दौरान 2 लाख लोगो ने इस में शामिल हो कर नया रिकार्ड बनाया। प्रदर्शनी में 300 से अधिक कंपनियां ने भाग लिया। इंडियन प्लास्टपेक फोरम, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश और फ्यूचर कम्युनिकेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपो का शुभारंभ 20 दिसंबर को इंदौर संभाग के आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने फीता काटकर किया । शुभारंभ कार्यक्रम में आईपीपीएफ अध्यक्ष श्री सचिन बंसल, एआईएमपी अध्यक्ष श्री प्रमोद डफरिया, श्री सुनिल व्यास, श्री रामकिशोर राठी सहित बडी संख्या में उद्योगपति उपस्थित थे। शुभारंभ कार्यक्रम में इंडियन प्लास्टपेक फोरम के अध्यक्ष श्री सचिन बसंल ने अपने उद्बोधन में संभागायुक्त से इंदौर में औद्योगिक प्रर्दशनी आयोजित करने के लिए एग्जिबिशन सेंटर बनाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सेंटर को पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जा सकता है। इससे इंदौर, भोपाल सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को सुविधा मिलेगी साथ ही छोटे- छोटे उद्योग अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर अपने व्यवसाय को नई दिशा दे सके। इसके पहले संभागायुक्त त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। (शेष पृष्ठ 4-5 पर)

42 फीसद तक हो रही है फंसे कर्ज की वसूली

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अब एनपीए की वसूली की प्रक्रिया जारी है।वसूली प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात आइबीसी की वजह से आई है। वर्ष 2018-19 में 1.666 लाख करोड़ रुपये के 1135 मामले गये थे और इनमें 70,819 करोड़ रुपये की राशि वसूली जा सकी थी जो तकरीबन 42.5 फीसद है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी काम के लिए गठित लोक अदालतों से महज 5.3 फीसद, ऋण वसूली प्राधिकरणों से 3.5 फीसद और सरफाएसी कानून से 14.5 फीसद एनपीए की ही वसूली हो पाती है। असलियत में हर तरह के एनपीए का अनुपात पहले से कम हुआ है।लेकिन क्या एनपीए के स्तर में कमी आने को देश के बैंकिंग सेक्टर को मजबूत माना जा सकता है? इस सवाल का जवाब अगर आरबीआइ की रिपोर्ट में खोजने की कोशिश की जाए तो सीधा सा उत्तर है नहीं। एनपीए में कमी आने के बावजूद संचालन लागत का ज्यादा होना, वैश्विक हालात, आर्थिक मंदी, तकनीकी के स्तर पर आने वाली चुनौतियां, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, शहरी सहकारी बैंकों की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है और सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर पर इन्हें सुधारने के लिए अभी लगातार कोशिश करनी होगी। आरबीआइ ने सरकारी बैंकों में हो रहे विलय को सही मानता है लेकिन यह भी कहता है कि अभी तकनीकी कंपनियों की तरफ से बैंकों के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उसके असर का भी आकलन करना होगा।

आर्थिक सुस्ती पर IMF ने भारत को चेताया

तत्काल फैसले लेने की जरूरत

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने सरकार को चेताया है। आईएमएफ के मुताबिक अर्थ?यवस्?था इस समय गंभीर सुस्ती के दौर में है और सरकार को इसे उबारने के लिए तत्काल नीतिगत उपाय करने की जरूरत है। आईएमएफ के अधिकारी रानिल सलगादो ने कहा, "भारत के साथ मुख्य मुद्दा अर्थव्यवस्था में सुस्ती का है। हमारा अब भी मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती संरचनात्मक नहीं, चक्रीय है। इसकी वजह वित्तीय क्षेत्र का संकट है.इसमें सुधार उतना तेज नहीं होगा जितना हमने पहले सोचा था. यह मुख्य मुद्दा है। "

इस दौरान आईएमएफ ने भारत पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की है। रिपोर्ट में आईएमएफ के निदेशकों ने ठोस वृहद आर्थिक प्रबंधन पर जोर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत जनादेश वाली नई सरकार के सामने सुधारों को आगे बढ़ाने का एक बेहतर अवसर है। इससे समावेशी और सतत वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।

घरेलू मांग सिर्फ 1 प्रतिशत बढ़ी

सलगादो ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत पर आ गई है जो इसका छह साल का निचला स्तर है। वृद्धि आंकड़ों से पता चलता है कि तिमाही के दौरान घरेलू मांग सिर्फ 1 प्रतिशत बढ़ी है। सलगादो ने कहा कि इसकी वजह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के कर्ज में कमी है। इसके अलावा व्यापक रूप से कर्ज को लेकर परिस्थितियां सख्त हुई हैं। साथ ही आमदनी, विशेषरूप से ग्रामीण आय कम रही है। इससे निजी उपभोग प्रभावित हुआ है।

IMF की मुख्य अर्थशास्त्री ने चेताया

हाल ही में आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने जनवरी में भारत की वृद्धि के अपने अनुमान में कमी के संकेत दिए हैं। एक कार्यक्रम में गोपीनाथ ने कहा, 'हम अपने आंकड़ों को संशोधित करते हुए जनवरी में नए आंकड़े जारी करेंगे। इसमें भारत के मामले में उल्लेखनीय रूप से कमी आ सकती है.' इसके साथ ही गीता गोपीनाथ ने चेताया कि यही हालात रहे तो राजकोषीय घाटा 3.4 फीसदी के दायरे से आगे निकल सकता है।

ई-असेसमेंट के तहत भेजे गए आयकर नोटिस पर 10 जनवरी तक दे सकते हैं जवाबः सीबीडीटी

नई दिल्ली। एजेंसी

ई-असेसमेंट सिस्टम के तहत भेजे गए आयकर विभाग के नोटिस पर जवाब देने की समयसीमा अगले साल 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने जारी आदेश में कहा, 'करदाताओं एवं कर पेशेवरों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय ई-असेसमेंट केंद्र की ओर से आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के तहत 24 दिसंबर 2019 तक जारी नोटिस का जवाब देने के लिए 10 जनवरी या फिर नोटिस में दिए गए समय, दोनों में जो भी बाद की तिथि हो मान्य होगी। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाला निकाय है। सरकार ने ई-असेसमेंट की प्रक्रिया आठ अक्टूबर से शुरू की थी। ई-असेसमेंट योजना के तहत, किसी व्यक्ति या करदाता को किसी भी प्रक्रिया के संबंध में आयकर अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

Petrol-Diesel के बाद अब CNG की भी होगी होम डिलिवरी, एक कॉल पर मिलेगी ये सुविधा

नई दिल्ली। अगर आप सीएनजी गाड़ी चलाते हैं लेकिन सीएनजी स्टेशनों पर लगने वाली लंबी लाइन से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल, सरकार अब जल्द ही पेट्रोल और डीजल (Diesel) के तर्ज पर सीएनजी की होम डिलिवरी शुरू करने की इजाजत देने जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक सरकार कंपनियों को जल्द सीएनजी की होम डिलिवरी की इजाजत देगी। बता दें कि इससे पहले सरकार ने डीजल की होम डिलिवरी की सुविधा शुरू की थी। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल के तर्ज़ पर सीएनजी की होम डिलीवरी की भी योजना बना रही है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही कंपनियों को इसकी इजाजत मिलेगी. सरकारी कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड सीएनजी की होम डिलिवरी करेगी।

एक कॉल पर मिलेगी ये सुविधा

पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक घर बैठ सीएनजी मंगवाने की सुविधा एक कॉल पर मिलेगी। मोबाइल डिस्पेंसर के जरिए लोगों को डोर स्टेप सीएनजी उपलब्ध कराई जाएगी।

पेट्रोल-डीजल की होम डिलिवरी शुरू

तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल की होम डिलिवरी शुरू कर दी है। जिसमें रीपोज ऐप पर ऑर्डर कर पेट्रोल-डीजल की होम डिलीवरी की जा रही है। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों और थोक ग्राहकों को मिल रहा है जहां 200 लीटर से ज्यादा पेट्रोल या डीजल की खपत होती है। अभी औद्योगिक और थोक ग्राहकों को पेट्रोल-डीजल के लिए नजदीकी खुदरा आउट लेट पर जाकर कंटेनरों में भरकर लाना पड़ता है। नई व्यवस्था से पेट्रोल पंप की बजाए डिपो से सीधा ग्राहकों को पेट्रोल डीजल की सप्लाई की जा रही है। इसके लिए कंपनी की ओर से डीजल भरने वाली मशीन को ट्रक में लगाया गया है। साथ ट्रक में अलग से एक टंकी की व्यवस्था भी की गई है।

ऐसे मिलेगा सुविधा का लाभ

नई व्यवस्था का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को कम से कम 200 लीटर का ऑर्डर करना होगा। इसके लिए ऑर्डर्ज से ऑर्डर करना होगा। वहीं अगर किसी भी प्रतिष्ठान या थोक ग्राहक को 2,500 लीटर से अधिक पेट्रोल, डीजल चाहिए होगा तो उसके लिए ग्राहक के पास पीईएसओ का लाइसेंस होना जरुरी है।

अब तक 1.10 करोड़ फास्टैग जारी, रोजाना टोल संग्रह 46 करोड़ रुपये पहुंचा

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पथ कर (टोल) संग्रह शुरू होने के साथ अब तक 1.10 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक अधिकारी ने बताया , विभिन्न बिक्री केंद्रों (पीओएस) के जरिये करीब 1.10 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं। राजमार्ग प्राधिकरण रोज करीब डेढ़ से दो लाख फास्टैग की बिक्री देख रहा है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लोग इस डिजिटल व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। ' अधिकारी ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप , दैनिक इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह करीब 46 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। एनएचएआई ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए 15 दिसंबर से देशभर के अपने 523 टोल प्लाजा पर आरएफआईडी आधारित फास्टैग से पथ कर संग्रह शुरू किया है। अधिकारी ने कहा , ' फास्टैग व्यवस्था शुरू होने के आठ दिन के भीतर ही फास्टैग से रोजाना आधार पर टोल लेनदेन की संख्या करीब 24 लाख पर पहुंच गई है। ' उन्होंने कहा कि राजमार्ग प्राधिकरण इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद से यात्रियों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अब तक उठाए गए सभी मुद्दों पर एनएचएआई के अधिकारी काम कर रहे हैं। फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है जिसका टोल पर अपने आप बिना रुके ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा।

वाहन कंपनियों ने दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति का स्वागत किया

नयी दिल्ली। वाहन विनिर्माता कंपनियों के मंच सियाम ने कहा कि दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के महानिदेशक राजेश मेनन ने एक बयान में कहा कि नीति में कुछ ऐसे उपाय हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता और स्वीकार्य बनाएंगे। नीति में खरीद प्रोत्साहन, ब्याज सहायता, स्क्रैप प्रोत्साहन, पथ-कर पर छूट, पंजीकरण और पार्किंग शुल्क में छूट और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को आगे विकसित करने जैसे उपाय की करने की बातें हैं। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों (एसएमईवी) ने इस नीति की सराहना की है। एसएमईवी के महानिदेशक और हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ सोहिंदर गिल ने कहा कि आभारी हूं कि सरकार ने हमारी अधिकांश सिफारिशों पर गौर किया जिनमें डीजल/पेट्रोल इंजन वाले वाणिज्यिक वाहनों को विद्युत वाहन में बदलना, ई-बाइक टैक्सी और ऐसे अन्य विकल्प जैसे सुझाव शामिल हैं क्योंकि ये उपाय ई-मोबिलिटी की गति को आगे ले जाने के मुख्य उत्प्रेरक हैं।" गिल ने कहा, "अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह की नीति अपनाई जाती है, तो हमें विश्वास है कि देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति हो जाएगी।" सोमवार को दिल्ली कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को मंजूरी दे दी। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 के तहत, दिल्ली सरकार प्रति किलोवाट बैटरी क्षमता वाले दोपहिया वाहनों की खरीद पर 5,000 रुपये, गैर-इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक वाहन दुपहिया वाहन लेने पर 5,000 रुपये तक की सब्सिडी देगी। चार पहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी पहले 1,000 कारों के लिए प्रति वाहन अधिकतम 1,50,000 रुपये की सीमा के साथ प्रति किलोवाट बैटरी क्षमता पर 10,000 रुपये की दर से रखी गयी है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक नयी खरीदी गई बसों में से 50 प्रतिशत को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने तथा वर्ष 2030 तक इसे 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क पर कोई रोड टैक्स नहीं लगेगा। नीति में यह तय किया गया है कि खाद्य वितरण वाहन, कूरियर सेवाएं और ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स जैसे सामान डिलीवरी के काम में लगे सभी दोपहिया वाहनों के 50 प्रतिशत हिस्से को मार्च 2023 तक इलेक्ट्रिक में बदल दिया जायेगा तथा मार्च 2025 तक इसे 100 प्रतिशत कर दिया जायेगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को दिल्ली सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड के माध्यम से लागू किया जाएगा।

जीएसटी पर अधिकारी समूह की रिपोर्ट

दरें बढ़ाने, छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची घटाने का सुझाव

नयी दिल्ली। एजेंसी

राज्यों को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति के लिये उपकर से प्राप्त राशि में चालू वित्त वर्ष के दौरान 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमी रहने की आशंका के बीच अधिकारियों की एक समिति ने जीएसटी राजस्व बढ़ाने के बारे में सुझाव दिये हैं जिनमें विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझाव भी शामिल किसे गये हैं। इनमें जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की संख्या कम करने और कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरें बढ़ाने के सुझाव भी शामिल हैं। केन्द्र और राज्यों के अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई इस समिति का गठन जीएसटी की समीक्षा के लिये किया गया था। समिति को इस दौरान विभिन्न संबद्ध पक्षों से भी कई सिफारिशें और सुझाव प्राप्त हुये हैं। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनींदा आधार पर कर लगाने के सुझाव भी शामिल हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस समिति ने 18 दिसंबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में रिपोर्ट में दिये गये सुझावों और सिफारिशों को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया था। इसमें जीएसटी राजस्व बढ़ाने के लिये छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची कम करने का सुझाव दिया गया है। मांस, मछली, अंडा, शहद, दूध उत्पाद, सब्जियां, फल और सूखे मेवे सहित कुछ उत्पादों को जीएसटी से छूट प्राप्त है। सूत्रों ने बताया कि इसके साथ ही समिति ने कुछ वस्तुओं को पांच प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 12 प्रतिशत और मोबाइल फोन जैसे कुछ सामानों को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की श्रेणी में लाने का भी सुझाव दिया है। समिति ने जीएसटी परिषद को यह भी सुझाव दिया है कि उसे कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर को 18 से बढ़ाकर वापस 28 प्रतिशत के दायरे में लाने पर भी विचार करना चाहिये। वर्तमान में जीएसटी व्यवस्था के तहत कर की चार श्रेणियां हैं -- पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत। इसमें 28 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाले माल एवं सेवाओं पर इस दर के ऊपर उपकर भी लगाया जाता है। यह उपकर एक से लेकर 25 प्रतिशत के दायरे में लगाया जाता है। जीएसटी परिषद ने पिछली बैठक में कोई भी निर्णय लेने से पहले रिपोर्ट का अध्ययन करने का फैसला किया था। इस रिपोर्ट में प्रक्रियागत मामलों में भी कुछ सुझाव दिये गये हैं। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट और स्रोत पर कर कटौती को व्यापक बनाने जैसे भी सुझाव दिये गये हैं। सूत्रों ने बताया कि बीजक से जुड़े कुछ सुझाव पहले से ही क्रियान्वयन के दायरे में हैं। जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सकती है। जीएसटी परिषद के समक्ष दिये गये प्रस्तुतीकरण के मुताबिक पांच प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि के स्तर पर चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि 1.60 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। ऐसे में इस दर पर 2019- 20 के दौरान क्षतिपूर्ति और उपकर से मिलने वाली राशि के बीच 63,200 करोड़ रुपये का अंतर रह सकता है। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक के बाद कुछ गैर- भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्री अथवा प्रतिनिधियों ने कहा कि केन्द्र सरकार भुगतान में असफल हो सकती है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को दी गई गारंटी के अनुरूप जीएसटी के बकाये का भुगतान समय पर करने को लेकर काई आश्वासन नहीं दिया। जीएसटी प्रणाली लागू करते समय कानून में यह व्यवस्था की गई कि केन्द्र सरकार राज्यों को पांच साल तक उनके राजस्व में एक तय दर (14 प्रतिशत) से वृद्धि के अनुरूप राजस्व में होने वाली कमी की भरपाई करती रहेगी। इसके लिये जीएसटी पर उपकर लगाकर राजस्व जुटाने की व्यवसथा भी की गई लेकिन मौजूदा जारी सुस्ती के दौर में उपकर से केन्द्र को राज्यों की राजस्व क्षतिपूर्ति के लिये उम्मीद के अनुरूप पूरा राजस्व नहीं मिल पा रहा है।

मंत्रिमंडल ने दिवाला कानून में एक और संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता में एक और संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे इस कानून को लेकर कुछ चीजों को बेहतर तरीके से स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। इससे पहले, आईबीसी में तीन बार संशोधन किया जा चुका है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन बदलावों के बाद कॉर्पोरेट कर्जदार पर दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले किए गए किसी अपराध के लिए कोई देनदारी नहीं बनेगी। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कर्जदार पर न्यायिक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूर करने की तारीख से किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन नहीं चलाया जा सकेगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने संहिता में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि इस संशोधन से आईबीसी, 2016 की विसंगतियां दूर होंगी और संहिता का सुगमता से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। सरकार ने 12 दिसंबर को संहिता में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा में पेश किया था। लोकसभा में पेश विधेयक का मकसद अड़चनों को दूर करना और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुसंगत बनाना है। इसमें सफल बोलीदाताओं को संबंधित कंपनियों के पूर्व प्रवर्तकों द्वारा किए गए किसी अपराध में आपराधिक प्रक्रियाओं से सुरक्षा मिलेगी। यह संहिता दबाव वाली संपत्तियों का समयबद्ध तरीके से बाजार मूल्य के हिसाब से समाधान सुनिश्चित करती है। इसमें इससे पहले तीन बार संशोधन किया जा चुका है।

नीति आयोग के सदस्य ने कहा

जीएसटी की सिर्फ दो दरें हों,बार-बार नहीं हो बदलाव

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सिर्फ दो स्लैब होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों में बार-बार बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। जरूरत होने पर जीएसटी की दरों में वार्षिक आधार पर बदलाव किया जाना चाहिए। जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया। सभी अप्रत्यक्ष कर इसमें समाहित हो गए। उस समय से जीएसटी की दरों में कई बार बदलाव किया जा चुका है। अभी जीएसटी के तहत चार स्लैब....5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं। कई उत्पाद ऐसे हैं जिनपर जीएसटी नहीं लगता। वहीं पांचे ऐसे उत्पाद हैं जिनपर जीएसटी के अलावा उपकर भी लगता है। रमेश चंद ने पीटीआई भाषा से कहा कि जब भी कोई बड़ा कराधान सुधार लाया जाता है, तो शुरुआत में उसमें समस्या आती है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर देशों में जीएसटी को स्थिर होने में समय लगा। नीति आयोग के सदस्य चंद कृषि क्षेत्र को देखते हैं। उन्होंने जीएसटी की दरों में बार-बार बदलाव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे समस्याएं पैदा होती हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर तय करती है। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी परिषद के सदस्य हैं। जहां विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी की दर घटाने की मांग बार-बार उठती है वहीं कर के स्लैब घटाने की बात भी की जाती है। चंद ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीएसटी की दर कम करने की मांग प्रवृत्ति बन कई है। ''मेरा मानना है कि जीएसटी के मुद्दे दरों को कम करने से कहीं बड़े हैं।'' उन्होंने कहा कि हम बार-बार दरों में बदलाव नहीं करना चाहिए। हमें अधिक दरें नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ दो दरें होनी चाहिए। चंद ने कहा कि हमें अपना ध्यान नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से राजस्व संग्रह बढ़ाने पर लगाना चाहिए, बजाय दरों में बार-बार बदलाव करने के। उन्होंने कहा कि यदि दरों में बदलाव करने की जरूरत है भी, तो यह वार्षिक आधार पर होना चाहिए। चंद कृषि अर्थशास्त्री भी हैं। प्रसंस्कृत खाद्य मसलन डेयरी उत्पादों पर जीएसटी की दरें घटाने की मांग पर चंद ने कहा कि ऐसे उत्पादों पर पांच प्रतिशत की दर 'काफी-काफी उचित' है।

इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग

मध्य भारत की सबसे बड़ी एमएसए

एक्सपो में शामिल इंडियन प्लास्टपैक फोरम के अध्यक्ष श्री सचिन बसंल, सचिव श्री राम किशोर राठी, कोषाध्यक्ष श्री विकास बांगड, पदाधिकारी श्री प्रमोद सोमानी, जीएम शरद जोशी सहित अन्य उद्योगपति।

इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग एक्सपो का शुभारंभ करते मुख्य अतिथि श्री आकाश त्रिपाठी, संभागायुक्त इंदौर साथ में आईपीपीएफ के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल और एआईएमपी अध्यक्ष प्रमोद डफरिया, सचिव सुनिल व्यास।

कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुख्य अतिथी श्री आकाश त्रिपाठी, संभागायुक्त इंदौर के साथ आईपीपीएफ के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल और एआईएमपी अध्यक्ष प्रमोद डफरिया सहित फ्युचर कम्युनिकेशन के अमेय गोखले और लक्ष्मण दुबे।

मुख्य अतिथी संभागायुक्त इंदौर श्री आकाश त्रिपाठी को स्मृति चिन्ह भेंट करते है। वरिष्ठ उद्योगपति श्री ओम धूत और आईपीपीएफ के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल।

मुख्य अतिथी संभागायुक्त इंदौर श्री आकाश त्रिपाठी का स्वागत करते आईपीपीएफ के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल।

मुख्य अतिथी संभागायुक्त इंदौर श्री आक
आईपीपीएफ के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री सुभ

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने कहा कि एक कन्वेंशन सेंटर की योजना सांवेर रोड पर योजना में है। जिसका निर्माण कार्य कई समस्याओं के कारण लंबित है, परंतु इसमें जो भी समस्याएं आ रही है इसे दूर किया जायेगा। उन्होनें राजेन्द्रनगर में आईडीए द्वारा निर्मित एक भवन को भी कन्वेंशन सेंटर के रूप में पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की जानकारी दी तथा सम्मिलित रूप से इस भवन का अवलोकन कर विचार करने को कहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री आकाश त्रिपाठी को वरिष्ठ उद्योगपति श्री ओम धूत,श्री सुभाष चतुर्वेदी, श्री विकास बांगड, श्री प्रवीण अग्रवाल सहित अन्य ने स्मृति चिन्ह भेट किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन एवं प्लास्टपेक फोरम के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, उद्योगपति, विभिन्न एसोसिएशन एवं चेम्बर के पदाधिकारीगण, एग्जिबिटर्स उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पम्प इंडिया के अनिल उपाध्याय ने और आभार प्रदर्शन एआईएमपी सचिव सुनिल व्यास ने किया। इस दौरान श्री आकाश त्रिपाठी ने एक्सपो में शामिल विभिन्न कंपनियों के स्टॉल को देखा और सराहा। उन्होनें एक्सपो में आई मशीनरी और टैक्नोलॉजी को और अधिक बढाने की बात भी कही।

आयोजन के के दूसरे दिन एग्जिबिशन डायरेक्टरी का विमोचन लोक निर्माण मंत्री मध्यप्रदेश शासन श्री सज्जनसिंह वर्मा द्वारा किया गया । उन्होनें इंडियन प्लास्ट पैक फोरम द्वारा निर्मित कैंलडर का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में श्री वर्मा ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों का विकास हो, नई तकनीक की मशीनें

मुख्य अतिथी श्री सज्जनसिंह व
औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी।

लगे और निवेश बढे इसमें पर्यावरण विभाग पुरी मदद करेगा। इसके लिए उद्योगों को भी पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की चिंता की जा रही है, हमें भी इस पर चिंतन करना चाहिए। उन्होनें इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपों 2019 की डायरेक्टरी का विमोचन

मुख्य अतिथी श्री सज्जन सिंह वर्मा को प्रतीक चिन्ह भेंट करते इंडियन प्लास्ट पैक फोरम और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के पदाधिकारी।

इंडस्ट्रीयल इजिनियरिंग एक्सपो मे
उत्पादों का निरिक्षण करते कैबिनेट
सज्जनसिंह वर्मा।

एक्सपो की डायरेक्टरी विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष सचिन बंसल।

एक्सपो की डायरेक्टरी और इं
का विमोचन करते अतिथी साथ में
गोखले और लक्ष्मण दुबे।

एक्सपों 2019 संपन्न

एमई प्रदर्शनी में आए 2 लाख लोग

काश त्रिपाठी का स्वागत करते
भाष चतुर्वेदी।

एक्सपो की डायरेक्टरी विमोचन कार्यक्रम में मंच पर केबिनेट मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा का स्वागत करते हुए आईपीपीएफ अध्यक्ष श्री सचिन बंसल।

वर्मा के साथ उद्योगपति और विभिन्न

किया। इस दौरान इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के कैलेंडर विमोचन भी किया गया। साथ ही मप्र रिप्रोसेस प्लास्टिक ग्रेन्युअल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा जारी कैलेंडर भी जारी किया। इंडियन प्लास्टपेक फोरम के अध्यक्ष सचिन बंसल मंत्री श्री वर्मा से शासन की मदद से एग्जिबिशन सेंटर की स्थापना की मांग की। इस पर मंत्री श्री वर्मा ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस दौरान एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया, इंडियन प्लास्टपैक फोरम के सचिव राम किशोर राठी, कोषाध्यक्ष विकास बांगड, मप्र रिप्रोसेस प्लास्टिक ग्रेन्युअल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके माहेश्वरी, फ्युचर कम्युनिकेशन के अमेय गोखले और लक्ष्मण दूबे सहित बडी संख्या में उद्योगपति और विजिटर उपस्थित थे। केबिनेट मंत्री श्री सज्जनसिंह वर्मा ने इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग एक्सपो 2019 लाभगंगा गार्डन में प्रदर्शित मशीनों को देखा और उनकी तकनीकी जानकारी भी ली। आयोजन स्थल लाभगंगा में एक्सपो में भाग लेने वाली कंपनियों की डायरेक्टरी में सभी कंपनियों की जानकारी, नाम और नंबर के साथ उपलब्ध करवाई गई है। इस अवसर पर मप्र रिप्रोसेस प्लास्टिक ग्रेनुअल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों पर एक ज्ञापन भी दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ उद्योगपति आरके माहेश्वरी, विकास बांगड, राम किशोर राठी, प्रवीण अग्रवाल, प्रमोद सोमानी, लक्ष्मण दूबे, कमल भागवत, विभिन्न एसोसिएशन पदाधिकारी सहित बडी संख्या में उद्योगपति, प्रर्दशनी में शामिल कंपनियों के प्रतिनिधी और विजिटर मौजूद थे।

में प्रदर्शित
ट मंत्री

इंडस्ट्रीयल इजिनियरिंग एक्सपो में प्रदर्शित मशीनों का निरिक्षण करते कैबिनेट मंत्री सज्जनसिंह वर्मा साथ में आईपीपीएफ अध्यक्ष श्री सचिन बंसल और अन्य मेहमान।

देखी मशीनें, तकनीक को सराहा

केबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक्सपो में प्रर्दशित मशीनों और उत्पादों को भी देखा और नई तकनीक को सराहा। इस अवसर पर उन्होंने सच्चिदानन्द एंटरप्राइजेज के स्टाल पर रुक कर पेपर बेग, पेपर कप और कपडे के बेग नॉन वोवन बैग बनाने की प्रक्रिया को भी समझा। सच्चिदानन्द एंटरप्राइजेज एक्सपो में पेपर बैग, कपडे के बैग और पेपर कप बनाने की मशीनों को प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगो को राष्ट्रीय स्तर के पीएसयू, बडे उद्यमों के साथ चर्चा करने का अवसर भी मिला है।

डियन प्लास्ट पैक फोरम के कैलेंडर
में फ्युचर कम्युनिकेशन के श्री अमेय

कार्यक्रम में इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के कैलेंडर का विमोचन करते अतिथी केबिनेट मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा साथ में आईपीपीएफ अध्यक्ष सचिन बंसल, कोषाध्यक्ष विकास बांगड और फ्युचर कम्युनिकेशन के श्री अमेय गोखले और लक्ष्मण दुबे।

कार्यक्रम को संबोधित करते आईपीपीएफ के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल मंच पर मुख्य अतिथी और अन्य मेहमान।

प्रदर्शनी का अवलोकन करते मुख्य अतिथी संभागायुक्त इंदौर श्री आकाश त्रिपाठी आईपीपीएफ के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल।

कार के लिए बनाए गए डस्टबिन की जानकारी लेते मुख्य अतिथी संभागायुक्त इंदौर श्री आकाश त्रिपाठी।

कार्यक्रम में मंच पर स्वागत करते एआईएमपी अध्यक्ष श्री प्रमोद डफरिया और मप्र रिप्रोसेस ग्रेन्युअल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके माहेश्वरी।

इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग एक्सपो स्थल पर पधारे मप्र के केबिनेट मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा की अगवानी करते इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल और अन्य उद्योगपति।

सांता क्लॉज कौन है? कहां से आता है? इसको लेकर तमाम तरह की कहानियां दुनिया भर में प्रचलित हैं। आमतौर पर मान्यता है कि सांता कोई संत या ईश्वर का दूत है। सांता कोई भी हो लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हम सबके भीतर भी एक सांता छिपा होता है। जरूरत है, उसे पहचानने की।

क्रिसमस स्पेशल

सरस्वती रमेश

हम सबके भीतर मौजूद है एक सांता

अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप सांता क्लॉज को जानते हैं? आपने उसे देखा है? तो तुरंत आप क्रिसमस के अवसर पर लंबी सफेद दाढ़ी, लाल ड्रेस पहने और टोपी लगाए घूमते, बच्चों को गिफ्ट देते हुए शख्स का जिक्र करते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपके भीतर, हम सबके भीतर भी एक सांता क्लॉज मौजूद होता है तो शायद आपको यकीन न आए, लेकिन यह सच है। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान एडविन आस्गुड ग्रोवर ने कहा है, 'हर वह शख्स सांता है, जो दूसरों से प्रेम करता है और उन्हें खुशी देता है।' सांता की इससे सटीक व्याख्या और क्या हो सकती है!

कई रूपों में हैं सांता

इस संसार में असंख्य उदास चेहरे हैं, अनगिनत आंखों में आंसू हैं। इन चेहरों की उदासी, आंखों से आंसू पोंछने के लिए किसी सांता की जरूरत है, जो प्रेम और मुस्कान के उपहार अपने मन की झोली में रख, सबको बांटता फिरता हो। सांता तो पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार आता है लेकिन इस धरती पर असंख्य सांता हैं, जो लोगों में प्यार और खुशियां बांट रहे हैं। हो सकता है उनके रूप सांता से जुदा हों लेकिन उनका मन बिल्कुल सांता जैसा होता है-कोमल, दयावान और सबको कुछ न कुछ देने के लिए उत्साहित, लालायित। ये सांता कभी हमें शिक्षक के रूप में मिलते हैं, कभी किसी डॉक्टर के रूप में, कभी किसी समाजसेवी तो कभी किसी सहायक के रूप में। हमारी जिंदगी ऐसे ही न जाने कितने सांताओं की नेकदिली और अहसान के तले दबी हुई होती है। क्रिसमस उन तमाम सांताओं को स्मरण कर उनका शुक्रगुजार होने का भी अवसर है।

समझें सांता का संदेश

सांता सिर्फ एक मिथक या अतीत का किरदार मात्र नहीं, वह अपने आप में एक जीता-जागता संदेशवाहक भी है। सांता का संदेश बिल्कुल स्पष्ट और पवित्र है-प्रेम बांटने से प्रेम बढ़ता है और नफरत बांटने से नफरत। जिस तरह सभी बुराइयों पर एक अच्छाई भारी होती है, उसी तरह सभी काली छायाओं पर एक प्रेम की किरण प्रभावी होती है। प्रेम का प्रकाश किसी चमत्कार से कम नहीं और सांता का दुनिया को दिया गया संदेश भी किसी चमत्कारिक शक्ति का ही प्रतीक है। ये शक्तियां जब तब पृथ्वी पर आती रहती हैं। संसार को अपना प्रभाव दिखाकर कुछ समय के लिए लोप हो जाती हैं लेकिन उनका दोबारा आना निश्चित होता है। यही कारण हैं कि दुनिया हर साल सांता की प्रतीक्षा में पलकें बिछाकर उसका इंतजार करती है।

बांटता है प्यार-खुशियां

क्रिसमस की मूल भावना प्रेम और खुशी में निहित है और यही भावना क्रिसमस के सबसे बड़े प्रतीक सांता की परिकल्पना में भी दिखाई देती है। सांता के उपहार, इसी प्रेम की भावना को जगाने और खुशी पहुंचाने के माध्यम हैं। बड़ा न तो उपहार होता है और न उपहार देने वाला। बड़ी तो खुशी होती है और वो प्रेम, जो हम सांता को खुशी देने के बदले देते हैं। तभी तो प्रेम और खुशियां बांटने की यह अनोखी परंपरा सदियों से बिना रुके चल रही है।

मन में बोता है सपनों के बीज

सांता जितना सच है, उतना ही वह हमारे स्वप्नों पर राज करने वाले एक नायक के रूप में भी हमारे बीच प्रचलित है। सांता हमें सपने देखने की प्रेरणा देता है। सिर्फ नींद में नहीं, जागते हुए भी, क्योंकि जब तक हमारी आंखों में कोई स्वप्न रहता है, हम तभी तक वास्तव में जीवित होते हैं। स्वप्न के बिना मनुष्य लक्ष्यहीन हो भटकता रहता है। इसलिए सपने, हमारे जीवित होने की पहली शर्त हैं। सांता हमारे सपनों को परवाज देने वाला एक फरिश्ता है। उसका दिया स्वप्न झूठ नहीं हो सकता। रात के अंधेरे में बच्चों की जुराबों में उनकी इच्छित वस्तु रखकर, वह उनके मन में सपनों के बीज बो जाता है। वही बीज बढ़ते-बढ़ते एक समय में हमारे जीवन का वट वृक्ष बन जाते हैं।

उम्मीद बनाए रखने का संदेश

सांता कहता है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों और मुसीबत में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जो खुद की क्षमताओं पर भरोसा करता है, ईश्वर भी उनका साथ देते हैं। खुद पर भरोसा ही वह सेतु है, जो हमें ईश्वर से जोड़े रखती है। इसलिए उम्मीद मन में पाली है तो बनाए रखिए। जीवन चक्र खुद पर विश्वास और उम्मीद पर ही चलता है। इसी उम्मीद को जगाने सांता हर साल आता है।

आप बन सकते हैं सांता

कहते हैं, किसी की मदद करने वाले के भीतर ईश्वर मौजूद होता है। ईश्वर तो हम सबमें है लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद वही करता है, जो अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है। जिसने अपने भीतर के ईश्वर को जाना, वह सांता बन गया।

आज जब संसार में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, हिंसा की काली छाया चारों ओर गहराती जा रही है, सांता के संदेश और भी प्रासंगिक हो गए हैं। आज के दौर में दुनिया की सूरत तभी बदल सकती है, जब हम सब अपने भीतर के सांता को पहचानें और उनके संदेशों को अपनाएं।

सांता से जुड़ी प्रचलित कहानी

ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के बाद तीसरी सदी में हुए संत निकोलस ही सांता के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। संत निकोलस के मन में बच्चों के लिए अथाह प्यार था। लेकिन वह हर जरूरतमंद का ध्यान रखते थे। उनकी दयालुता को लेकर एक किस्सा काफी मशहूर है। एक बार एक गरीब आदमी के पास अपनी तीन बेटियों की शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। वह मजबूर होकर उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल रहा था। जब निकोलस को यह बात पता लगी तो उन्होंने तीनों लड़कियों की जुराबों में सोने की अशर्फियां रख दीं। इस तरह उस परिवार की किस्मत बदल गई और वे अपने कष्टों से मुक्त हुए।

ईसा मसीह के जीवन से जुड़े किस दिन को क्या कहते हैं, जानिए

ईसाई धर्म को क्रिश्चियन धर्म भी कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक प्रभु ईसा मसीह को माना जाता है। ईसा मसीह को पहले से चला रहे प्रॉफेट की परंपरा का एक प्रॉफेट माना जाता हैं। उन्होंने दुनिया को एक नया नियम दिया और लोगों को प्रेम करना सिखाया।

25 दिसंबर सन् 6 ईसा पूर्व को एक यहूदी बढ़ई की पत्नी मरियम (मेरी) के गर्भ से यीशु का जन्म बैथलहम में हुआ। कहते हैं जब यीशु का जन्म हुआ तब मरियम कुंआरी थीं। मरियम योसेफ की धर्म पत्नी थीं। बैथलहम इसराइल में यरुशलम से 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक फिलिस्तीनी शहर है।

कहते हैं कि यीशु के जन्म के बाद उन्हें देखने के लिए बेथलेहेम में तीन विद्वान पहुंचे थे जिन्हें फरिश्ता कहा गया। यह भी कहा जाता है कि मरिया को यीशु के जन्म के पहले एक दिन स्वर्गदूत गाब्रिएल ने दर्शन देकर कहा था कि धन्य हैं आप स्त्रियों में, क्योंकि आप ईश?वर की माता बनने के लिए चुनी गई हैं। यह सुनकर मदर मरियम चकित रह गई थीं। इसके कुछ समय के बाद मरियम और योसेफ अपना नाम लिखवाने बैथलेहेम गए और कहीं भी जगह न मिलने पर वे एक गुफा में रुक गए जो शहर से बाहर एकांत में थी। वहीं पर यीशु का जन्म हुआ।

ईसा जब बारह वर्ष के हुए, तो यरुशलम में दो दिन रुककर पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते रहे। सत्य को खोजने की वृत्ति उनमें बचपन से ही थी। बाइबिल में उनके 13 से 29 वर्षों के बीच का कोई जिक्र नहीं मिलता, ऐसा माना जाता है। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने यूहन्ना (जॉन) से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद वे लोगों को शिक्षा देने लगे।

कहते हैं कि सन 29 ई. को प्रभु ईसा गधे पर चढ़कर यरुशलम पहुंचे। वहीं उनको दंडित करने का षड्यंत्र रचा गया। उनके शिष्य जुदास ने उनके साथ विश्वासघात किया। अंततः उन्हें विरोधियों ने पकड़कर क्रूस पर लटका दिया। ईसा ने क्रूस पर लटकते समय ईश्वर से प्रार्थना की, 'हे प्रभु, क्रूस पर लटकाने वाले इन लोगों को क्षमा कर। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।' कहते हैं कि उस वक्त उनकी उम्र थी लगभग 33 वर्ष।

जब यीशु का जन्म हुआ था तो उस दिन को मेरी क्रिसमस कहा जाता है। रविवार को यीशु ने येरुशलम में प्रवेश किया था। इस दिन को 'पाम संडे' कहते हैं। शुक्रवार को उन्हें सूली दी गई थी इसलिए इसे 'गुड फ्रायडे' कहते हैं और रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री (मेरी मेग्दलेन) ने उन्हें उनकी कब्र के पास जीवित देखा। जीवित देखे जाने की इस घटना को 'ईस्टर' के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि उसके बाद यीशु कभी भी यहूदी राज्य में नजर नहीं आए।

जनवरी में आपको मिल सकता है सस्ते लोन का तोहफा

नई दिल्ली। एजेंसी

नए साल यानी जनवरी में सरकारी बैंक, ब्याज दरों में फिर कमी का तोहफा कस्टमर्स को दे सकते हैं। सरकार और रिजर्व बैंक चाहते हैं कि नए साल में बैंक लोन सस्ता करें। इसके लिए बैंकों के साथ बातचीत की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के साथ मार्केट में मनी फ्लो बढ़ाने के लिए बैंकों से कहा जा रहा है कि वे अपनी बैलेंसशीट को देखते हुए लोन को सस्ता करें। दिसंबर में आरबीआई ने रीपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि आरबीआई रीपो रेट में 1.35 पर्सेंट की कटौती कर चुका है, जबकि

इसके मुकाबले बैंकों ने नए लोन पर ब्याज दरों में मात्र 0.44 पर्सेंट की ही कटौती की है। इसका मतलब है कि जितना रीपो रेट कम हुआ, उस अनुपात में लोन सस्ते नहीं हुए। सूत्रों के अनुसार, कुछ ज्यादा नहीं तो लोन को 0.10 से 0.15 पर्सेंट तक सस्ता कर सकते हैं। एक सीनियर अफसर के अनुसार, दिसंबर की मॉनिटरी पॉलिसी के बाद कुछ बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम की, लेकिन वह नाकाफी है। ऐसे में बैंकों से कहा जा रहा है कि वे लोन को और सस्ता करने पर विचार करें। नए साल में लोन को सस्ता करें। स्मॉल सेविंग और डिपॉजिट रेट भी कम हो चुके हैं। ऐसे में बैंकों के लिए कर्ज को सस्ता करने का रास्ता निकल सकता है। सूत्रों के अनुसार, कई बड़े सरकारी बैंकों ने आरबीआई से कहा है कि वे अपनी बैलेंसशीट को देखते हुए नए साल में होम लोन समेत अन्य लोन को सस्ता करने की कोशिश करेंगे।

चीन से आने वाले रसायनों पर डंपिंग आरोपों की जांच शुरू

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत ने चीन से आने वाले रसायनों को लेकर डंपिंग के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू कंपनियों की शिकायत है कि डाई और फार्मा कारोबार में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की चीन द्वारा डंपिंग की जा रही है। प्राइमा केमिकल्स ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज (डीजीटीआर) के पास इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है। वाणिज्य मंत्रलय के अंतर्गत आने वाला डीजीटीआर इस मामले में चीनी कंपनियों द्वारा रसायनों की डंपिंग और इससे घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की जांच कर रहा है। अगर जांच में डंपिंग की बात सच साबित होती है, तो डीजीटीआर घरेलू कारोबार को सस्ते आयात से बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश कर सकता है। डीजीटीआर अप्रैल, 2018 से जून, 2019 के बीच चीन से हुए रसायनों के आयात की जांच करेगा।

इस दौरान 2015-18 के बीच हुए रसायन आयात पर भी एंटी डंपिंग जांच हो सकती है। यह जांच उन मामलों में की जाती है, जहां किसी वस्तु के सस्ते आयात के चलते उसके घरेलू कारोबार के समक्ष खतरा पैदा हो जाता है। इससे बचाव के लिए डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित नियमों के दायरे में रहकर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। भारत ने पहले ही चीन समेत कई देशों के विभिन्न उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है।

सीआईआई ने वाणिज्यिक विवादों को आपराधिक शिकायतों की श्रेणी में रखे जाने को लेकर चिंता जतायी

नयी दिल्ली। एजेंसी

उद्योग मंडल सीआईआई ने मंगलवार को कहा कि हाल में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसमें वाणिज्यिक और दिवानी विवादों को आपराधिक शिकायत माना जा रहा है। उसका कहना है कि इससे उद्यमियों और विदेशी निवेशकों के बीच 'डर' पैदा हो रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) स्टार्ट-अप परिषद के चेयरमैन कृष गोपाल कृष्णन ने कारोबारी और आर्थिक मामलों को आपराधिक श्रेणी से अलग रखने को कहा। उन्होंने कहा कि जबतक धोखाधड़ी का इरादा सामने नहीं आता, ऐसे मामले मध्यस्थता या दिवानी मामलों के अंतर्गत आने चाहिए। गोपालकृष्णन ने कहा, ''हाल में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसमें वाणिज्यिक और दिवानी विवादों को आपराधिक शिकायत माना जा रहा है। उसका कहना है कि इससे निदेशकों, युवा उद्यमियों और विदेशी निवेशकों के मन में 'भय' पैदा हो रहा है।'' प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह कहा था कि सरकार कंपनी कानून के कुछ प्रावधानों को आपराधिक श्रेणी से अलग करने को लेकर काम कर रही है ताकि देश में कारोबार करना और सुगम हो। स्टार्ट-अप परिषद के चेयरमैन ने कहा, ''सरकार को मध्यस्थता या नागरिक अदालतों के दायरे में आने वाले आर्थिक और व्यापार कानूनों से जुड़े मामलों में जबतक धोखाधड़ी या गड़बड़ी की बात न हो, उसे आपराधिक श्रेणी से बाहर करने पर विचार करना चाहिए। '' उन्होंने कहा कि इससे घरेलू तथा वैश्विक कंपनियों में भरोसा बढ़ेगा तथा देश में कारोबार सुगमता बेहतर होगा।

भारत-स्विट्जरलैंड के बीच उड़ान भर सकेंगी और विमानन कंपनियां, समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हवाई सेवा समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की मंगलवार को अनुमति दे दी। इसके बाद और एयरलाइन कंपनियां भी दोनों देशों के बीच उड़ान सेवा शुरू कर सकेंगी। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है, 'हवाई सेवा समझौते में संशोधन से बेहतर और निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त वातावरण बनेगा और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दोनों पक्षों की हवाई सेवाओं के लिए वाणिज्यिक अवसर उपलब्ध होंगे। इसमें कहा गया है कि इस संशोधन के तहत कई एयरलाइन कंपनियों को दोनों देशों के बीच परिचालन शुरू करने की अनुमति मिलेगी। अभी तक सिर्फ दो एयरलाइन कंपनियों को मंजूरी मिली हुई है। संशोधन के मुताबिक , परिचालन के लिए 'नामित एयरलाइंस' प्रतिस्पर्धा रोधी और कीमतों से छेड़छाड़ जैसी गतिविधियां का सहारा लिए बिना उचित शुल्क तय करने के लिए स्वतंत्र होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने स्विट्जरलैंड संघीय परिषद और भारत सरकार के बीच हवाई सेवा समझौते में संशोधन और स्विट्जरलैंड के साथ राजनयिक टिप्पणियों के आदान - प्रदान के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी है।

ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लि. का नियंत्रण अब पेट्रोलियम मंत्रालय के पास

नयी दिल्ली। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने मंगलवार को ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लि. का प्रसाशनिक नियंत्रण रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग से लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देने को मंजूरी दे दी। केंद्रीय लोक उपक्रम बीसीपीएल असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) को क्रियान्वित कर रही है। इसे असम समझौता के क्रियान्वन के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए की बैठक में प्रशासनिक नियंत्रण में बदलाव को मंजूरी दी गयी।। साथ ही मंत्रिमंडल ने बीसीपीएल को इक्विटी निवेश पर कर बाद 10 प्रतिशत न्यूनतम आतंरिक प्रतिफल (आईआरआर) बनाये रखने को लेकर 15 साल के लिये कच्चा माल पर सब्सिडी की नीति को भी मंजूरी दी। इसमें कहा गया है, ''आईआरआर 10 प्रतिशत लाने के लिए बीसीपीएल ने संयंत्र के 15 साल के लिए कच्चे माल पर कुल लगभग 4600 करोड़ रुपये की सब्सिडी दिए जाने का अनुमान लगाया है। बीसीपीएल अगले वित्त वर्ष से इसके लिए लगातार वार्षिक आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा ।''

दाम बढ़ने के चलते 30% घट सकता है दिसंबर में गोल्ड इंपोर्ट

कोलकाता। एजेंसी

दिसंबर में गोल्ड का इंपोर्ट पिछले महीने की तुलना में 30 पर्सेंट घट सकता है। कीमतों में बढ़ोतरी के चलते देश में सोने की मांग में गिरावट आई है। अक्टूबर में करीब 40 टन गोल्ड इंपोर्ट हुआ था। नवंबर में सोने की कीमतें 38,900 रुपये से घटकर 37,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई थीं। इससे पिछले महीने में सोने का इंपोर्ट बढ़कर 71 टन चला गया था। ऐसा नवंबर में अमेरिका और चीन की ओर से महीनों के विवाद के बाद अंतरिम ट्रेड डील के पूरा होने के संकेत देने के बाद हुआ था। हालांकि कीमतें अब फिर से पिछले महीने के स्तर पर पहुंच गई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर, अमेरिका और चीन से 'पहले चरण' की ट्रेड डील पर तस्वीर साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। ऑल इंडिया जेम ऐंड जूलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन अनंत पद्मनाभन ने बताया कि दिसंबर में गोल्ड का इंपोर्ट 50 टन के करीब रह सकता है। इंडियन बुलियन ऐंड जूलर्स असोसिएशन के प्रेसिडेंट और रिद्धिसिद्धी बुलियंस के मैनेजिंग डायरेक्टर पृथ्वीराज कोठारी ने बताया, 'अगर कीमतें 38,000 से 39,000 के बीच रहती हैं तो हमें दिसंबर से फरवरी में सोने की मंथली डिमांड 40-50 टन के बीच बने रहने की उम्मीद है।'बुलियन डीलर साल के अंत में स्टॉक खत्म करने के लिए जूलरों को 3 डॉलर प्रति औंस का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। ऐनालिस्टों का कहना है कि ग्लोबल इकॉनमी की ग्रोथ से जुड़ी चिंताओं और केंद्रीय बैंक के 'अकोमोडेटिव' रुख के चलते सोने की मांग अधिक रही है। ग्लोबल लेवल पर गोल्ड करीब 1,480 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। HDFC सिक्यॉरिटीज के सीनियर रिसर्च ऐनालिस्ट तपन पटेल ने बताया, 'सोने की कीमतों के मजबूत बने रहने की उम्मीद है। मजबूत इकनॉमिक रिकवरी के लिए ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में गिरावट अभी भी एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है। ब्रेग्जिट और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के महाभियोग से शॉर्ट टर्म में कीमतों में तेजी आ सकती है।' क्रिसमस और न्यू इयर हॉलिडे से पहले सोमवार को गोल्ड की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। अमेरिका-चीन ट्रेड डील के मोर्चे पर निवेशक स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं। स्पॉट गोल्ड 0.2 पर्सेंट बढ़कर 1,480.77 डॉलर प्रति औंस पर रहा, जबकि यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 0.3 बढ़कर 1,484.70 डॉलर प्रति औंस पर। पटेल ने बताया, 'हम गोल्ड की कीमतों के मौजूदा रेंज में थोड़ी बढ़ोतरी के साथ बने रहने की उम्मीद कर रहे हैं।'

दवाओं के गलत विज्ञापन देने पर दर्ज होगा क्रिमिनल केस!

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अपनी दवाओं का बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करने वाली कंपनियों को जल्द भारी जुर्माने और आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें खासतौर से ऐसी फार्मास्युटिकल्स कंपनियां शामिल हैं, जो अपनी दवाओं के जरिए एक यौनांग के साइज और आकार, स्तन के रूप और संरचना या गोरेपन में सुधार का भ्रामक दावा करती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने मौजूदा कानूनों में बदलाव की सिफारिश करने के लिए एक कमिटी का गठन किया है। अधिकारी ने बताया कि फार्मास्युटिकल्स कंपनियां भ्रामक विज्ञापनों के जरिए अपनी दवाओं के प्रभाव और सुरक्षा को लेकर गलत जानकारी देती हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों को भ्रामक विज्ञापन देने से रोकने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने, शीर्ष मैनेजरों को जेल भेजने और ऐसी कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने की सिफारिशें की जा सकती हैं।

कमिटी के एक सदस्य ने बताया, 'कानून में अभी जुर्माने का जो प्रावधान है, वह कंपनियों को ऐसे भ्रामक दावे करने से रोकने में नाकाफी है।' उन्होंने बताया कि फिलहाल बढ़ा-चढ़ाकर दावे करने वाले विज्ञापन करने वाले 500 रुपये का मामूली जुर्माना देकर बच निकलते हैं। जॉइंट हेल्थ सेक्रटरी मंदीप भंडारी की अध्यक्षता वाली इस कमिटी की 13 दिसंबर को

बैठक हुई थी, जिसमें ड्रग्स ऐंड मैजिक रेमेडीज (ऑब्जेक्शनेबल ऐडवर्टाइजमेंट) ऐक्ट, 1954 के प्रावधानों में बदलाव पर चर्चा की गई।

कमिटी, ड्रग्स ऐंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के शेड्यूल ८ में शामिल बीमारियों के लिए विज्ञापन देने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई पर विचार कर रही है। इस शेड्यूल में ऐसी बीमारियों और रोगों की सूची है, जिसे कोई दवा ठीक करने या रोकने का दावा नहीं कर सकती। सूची में कैंसर, भ्रूण के लिंग का परिवर्तन, त्वचा को गोरा करना, यौन सुख के लिए इंसान की क्षमता बढ़ाने, शीघ्रपतन, यौन नपुंसकता, बालों के समय से पहले सफेद होने, स्तन के रूप और संरचना में बदलाव और दोबारा युवा बनाने की शक्ति जैसे दावे शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया, 'मौजूदा कानूनों में जुर्माने को अधिक कड़ा करने की जरूरत है। हमें जुर्माने और कैद के प्रावधानों को बढ़ाकर ॐ को अधिक प्रभावी बनाना होगा।' फिलहाल, पहली बार गलत दावा करने पर '6 माह तक की कैद या जुर्माना या दोनों' का प्रावधान है। इसके बाद दोबारा या कितनी भी बार गलत दावा करने पर 'एक साल तक अधिकतम कैद या जुर्माना या दोनों' का प्रावधान है।

इसके अलावा मौजूदा कानून सिर्फ अखबारों में स्वास्थ्य से जुड़े गलत दावे देने पर रोक लगाते हैं, जबकि टीवी या इंटरनेट पर गलत दावों की समस्या से निपटने के लिए इनमें कोई प्रावधान नहीं हैं। एक सूत्र ने बताया, 'यह सोशल मीडिया का युग है और कानून को भी इसके हिसाब से बदलने की जरूरत हैं। ऐसे में मौजूदा कानूनों में संशोधन करना ही होगा।' स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 दिसंबर को जारी एक नोटिफिकेशन में कमेटी के गठन की सूचना दी थी।

नोटिस में कहा गया था, 'कमिटी अपनी पहली बैठक के तीन हफ्तों के अंदर सिफारिशों को सौंपेगी।' कमिटी के सदस्यों में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (अ्ग्उ्ध्), आयुष मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधि और हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों के ड्रग कंट्रोलर शामिल हैं।

एशिया की सभी करेंसी पर भारी पड़ा भारतीय रुपया!

आई जोरदार तेजी, आम आदमी पर होगा ये असर

मुंबई। एजेंसी

दुनियाभर की बड़ी अर्थव्यवस्था की करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपये में जोरदार तेजी आई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दिसंबर में ये एक फीसदी से ज्यादा मज़बूत हुआ है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी में भारतीय रुपये ने सबसे ज्यादा मज़बूती दिखाई है। हालांकि, अक्टूबर और नवंबर महीने में भारतीय रुपया 1 फीसदी से ज्यादा तक कमजोर हुआ था। भारतीय रुपये की मजबूती का सीधा असर पेट्रोल-डीज़ल की कीमत पर होता है। क्योंकि भारत अपनी जरुरत का 80 फीसदी विदेशों से खरीदता है। ऐसे में भारतीय तेल कंपनियों को विदेशों से कच्चा तेल खरीदने के लिए कम डॉलर खर्च करने होंगे। लिहाजा इसका फायदा घरेलू ग्राहकों को भी मिलेगा।

आम आदमी पर क्या होगा असर

■भारत अपनी जरूरत का करीब 80 फीसदी पेट्रोलियम प्रोडक्ट आयात करता है। ■रुपये में मजबूती से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात सस्ता हो जाएगा। ■तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल की घरेलू कीमतों में कमी कर सकती हैं। ■डीजल के दाम गिरने से माल ढुलाई बढ़ जाएगी, जिसके चलते महंगाई में कमी आ सकती है। ■इसके अलावा, भारत बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों और दालों का भी आयात करता है। ■रुपये के मजबूत होने से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों और दालों की कीमतें घट सकती हैं।

एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी भारतीय रुपया

अक्टूबर और नवंबर में भारतीय रुपया सबसे ज्यादा कमजोर हुआ था। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स कटौती के बाद विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में जमकर खरीदारी की है। इसी का फायदा रुपये को मिला है। पिछले एक महीने में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 72.15 से मजबूत होकर 71.16 के स्तर पर पहुंच गया है।

कैसे मजबूत और कमजोर होता है भारतीय रुपया-रुपये की कीमत पूरी तरह डिमांड एवं सप्लाई पर निर्भर करती है। इस पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी असर पड़ता है। हर देश के पास दूसरे देशों की मुद्रा का भंडार होता है, जिससे वे लेनदेन यानी सौदा (आयात-निर्यात) करते हैं. इसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। समय-समय पर इसके आंकड़े रिजर्व बैंक की तरफ से जारी होते हैं।

(I) अगर आसान शब्दों में समझें तो मान लीजिए भारत अमेरिका से कुछ कारोबार कर रहा हैं। अमेरिका के पास 67,000 रुपए हैं और हमारे पास 1000 डॉलर। अगर आज डॉलर का भाव 67 रुपये है तो दोनों के पास फिलहाल बराबर रकम है। अब अगर हमें अमेरिका से भारत में कोई ऐसी चीज मंगानी है, जिसका भाव हमारी करेंसी के हिसाब से 6,700 रुपये है तो हमें इसके लिए 100 डॉलर चुकाने होंगे।

(II) अब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 900 डॉलर बचे हैं। अमेरिका के पास 74,800 रुपये. इस हिसाब से अमेरिका के विदेशी मुद्रा भंडार में भारत के जो 67,000 रुपए थे, वो तो हैं ही, लेकिन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पड़े 100 डॉलर भी उसके पास पहुंच गए।

(III) अगर भारत इतनी ही इनकम यानी 100 डॉलर का सामान अमेरिका को दे देगा तो उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी। यह स्थिति जब बड़े पैमाने पर होती है तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में मौजूद करेंसी में कमजोरी आती है।

(IV) इस समय अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर खरीदना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए अधिक रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह की स्थितियों में देश का केंद्रीय बैंक RBI अपने भंडार और विदेश से खरीदकर बाजार में डॉलर की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

RBI ने लॉन्च किया पीपीआई

दस हजार रुपये तक की खरीद और सेवाओं का ले सकते हैं लाभ

नई दिल्ली। एजेंसी

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए छोटे मूल्य के पेमेंट गटवे के रूप में काम करने वाले 'सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट' (पीपीआई) उत्पाद लॉन्च किया गया है। रिजर्व बैंक ने इसे मंगलवार को पेश किया। इससे 10,000 रुपये तक के वस्तुओं को खरीदने के साथ इतने मूल्य तक के ही सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। इस उत्पाद में बैंक खाते से पैसा डाल सकते हैं। यह कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन में कहा, 'छोटे मूल्य के डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और ग्राहकों की सुविधा के लिए नए प्रकार के सेमी-क्लोज्ड पीपीआई पेश करने का फैसला लिया गया है।'

फिलहाल तीन प्रकार के पीपीआई लॉन्च किया गया है जिसमें क्लोज्ड सिस्टम, सेमी क्लोज्ड ओर ओपन पीपीआई हैं।

क्लोज्ड पीपीआई क्या है

इसमें केवल वस्तु और सेवाओं की खरीद की जा सकती है, नकद निकासी नहीं कर सकते हैं। न ही इसमें किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट किया जा सकता है।

सेमी क्लोज्ड

इस सुविधा में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के साथ पैसे भेजने की सुविधा होती है।

ओपन पीपीआई

इस सुविधा में अन्य सुविधाओं के साथ नकद निकासी की सुविधा भी होती है।

इस तरह के उत्पाद बैंक और गैर-बैंकिंग इकाइयां जारी करेंगी। इसके लिए संबंधित ग्राहकों से न्यूनतम जानकारी लेने के बाद इसे जारी किया जाएगा। न्यूनतम ब्योरे में एक बार इस्तेमाल होने वाला (वन टाइम पिन-ओटीपी) पिन के साथ सत्यापित मोबाइल नंबर और नाम की घोषणा और विशिष्ट पहचान संख्या शामिल हैं।

आरबीआई के मुताबिक, इस पीपीआई में पैसे भरे जा सकते हैं और इसे कार्ड या इलेक्ट्रानिक रूप में जारी किया जा सकता है। इसमें पैसा बैंक खाते से ही डाले जा सकेंगे। किसी एक महीने में इसमें 10,000 रुपये से अधिक नहीं भरा जा सकेगा। एक वित्त वर्ष में यह 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार के पीपीआई का उपयोग केवल वस्तु और सेवाओं की खरीद में किया जा सकेगा। पैसे भेजने में इसका उपयोग नहीं होगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।